

ई-मेल

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा राज्य।
श्रम विभाग।

क्रमांक: स्था0/01/2020/5664-5863


दिनांक: 10-09-2020

विषय :- श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, उप श्रम आयुक्त के प्रति बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, उप श्रम आयुक्त, हिसार अपनी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत दिनांक 30.09.2020 को सेवानिवृत्त होने जा रहे है। अधिकारी के पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। आप इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-2 सूचित करें कि अधिकारी के विरुद्ध आपके कार्यालय का कुछ बकाया तो नहीं है।

यदि निर्धारित समय में आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो यह समझ लिया जाएगा कि अधिकारी की ओर आपके कार्यालय का कुछ बकाया नहीं हैं और उनके पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा भविष्य में यदि कोई वकाया पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे।


अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।